भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2043

उत्तर देने की तारीख : 14.12.2023

"डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना"

2043. श्री. सी.आर. पाटिलः
श्री अनुराग शर्माः
डॉ. रमापति राम त्रिपाठीः
श्री पी.पी. चौधरीः
श्री संगम लाल गुप्ताः
श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) के निर्माण और विकास के लिए कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के कार्यबल को डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना अपनाने में मदद करने के लिए उन्हें कुशल बनाने के संबंध में कदम उठाए हैं तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को आसान, सस्ता और समय पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए बिग डाटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(ङ) यदि, हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा)

(क) और (ख): सरकार ने डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का निर्माण और विकास करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इस प्रकार विकसित अधिकांश अवसंरचना जैसे कि गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जेम), वित्तीय लेन-देनों के लिए एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (यूपीआई) भुगतान प्रणाली, डिजिटल लॉकर, आधार, नए युग के गवर्नेंस के लिए एकीकृत मोबाइल अनुप्रयोग (उमंग), माईगव आदि आम उपयोग के लिए हैं, जिससे देश में डिजिटल अवसंरचना में महत्वपूर्ण रूप से सुधार हुआ है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) ने अपनी स्वयं की स्कीमों और कार्यक्रमों का संचालन करने के लिए विभिन्न साधनों और पोर्टलों का निर्माण किया है, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ एमएसएमई पंजीकरण के लिए सिंगल विंडो ऑनलाइन उद्यम पंजीकरण पोर्टल, शिकायत निवारण के लिए एमएसएमई चैंपियंस पोर्टल, विपणन सहायता के लिए एमएसएमई ग्लोबल मार्ट पोर्टल, सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) से केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (सीपीएसई) द्वारा खरीद और विलंबित भुगतान की निगरानी के लिए एमएसएमई संबंध और एमएसएमई समाधान पोर्टल शामिल हैं।

(ग): सरकार ने कौशल भारत, एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण (आईगॉट) कर्मयोगी मंच और समान मंचों के माध्यम से प्रशिक्षण, कौशल और डिजिटल साक्षरता अभियानों के संचालन के माध्यम से उनको डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना अपनाने में सहायता के लिए एमएसएमई कार्यबल के कौशल उन्नयन हेतु कई कदम उठाए हैं।

एमएसएमई मंत्रालय के पास औज़ार कक्षों, प्रौद्योगिकी केन्द्रों, एमएसएमई-विकास और सुविधा कार्यालयों (एमएसएमई-डीएफ़ओ) तथा उद्यमिता विकास संस्थानों (ईडीआई) के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए उद्यमिता कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी) जैसी कई स्कीमें हैं। इसके अलावा, सरकार एमएसएमई को ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) के माध्यम से ई-मार्केट और डिजिटल कॉमर्स में ऑन-बोर्ड होने में सहायता कर रही है।

(घ) और (ङ): एमएसएमई क्षेत्र को आसान, सस्ता और समय पर ऋण प्रदान करने के लिए डिजिटल सेवाओं में सुधार और बड़े डेटा तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) का उपयोग करने के उद्देश्य से, विभिन्न पद्धतियों का विकास किया गया है, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली, रेगुलेटरी सैंडबॉक्स और अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क शामिल हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने विलंबित भुगतान के मुद्दों के समाधान के लिए व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली (ट्रेड्स) का निर्माण किया है, नवपरिवर्तनों (इनोवेशनों) को प्रोत्साहित करने के लिए रेगुलेटरी सैंडबॉक्स खोला है जो प्रौद्योगिकी और डेटा विश्लेषण के उपयोग के माध्यम से एमएसएमई के लिए ऋण अंतर को भर सकता है, और सुरक्षित, पारदर्शी और दक्ष तरीके से वित्तीय डेटा के साझाकरण और एकीकरण को संभव करने के लिए अकाउंट एग्रीगेटर (एए) फ्रेमवर्क स्थापित किया है।

*****